

3.118

पुणवली वाली को देना प्र० प्र०
हो देना -

मूलक नारायणी के वकील रहे
पु० केदार सोनी एड० ने प्र० प्र०
देना कर निवेदन किया कि अपील
नारायणी को स्वर्गवास दिनांक
10-2-17 को हो चुका। जिसके
कारणों में एक भाग दलक प्र०
होमान है जिसे अपील के
स्थान पर काम शुरू बनाया जावे।
विद्वान वकील रेसो 0 में वरिष्ठ
प्र० प्र० में कथन किया कि नारायणी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र
	<p>क वकील जब तक ही थे तब तक नारायणी जिनदा थी। उनका नारायणी के वकील मह प्रान्त प्रेश नदी कर सकते। अतः प्रान्त रवारेज कर अपील रवारेज की जावे।</p> <p>वह प्रान्त कामम सुट जर्जर समाप्त की गई। कांयु प्रान्त मृतक नारायणी के वकील ने प्रेश किया है। मह प्रान्त नारायणी के वकील को प्रेश करने का कोई कायुनी आधिकारी नहीं है। प्रान्त के साथ शपथ पत्र आवश्यक है जो इस प्रकार के प्रान्त के साथ वकील द्वारा प्रेश नहीं किया जा सकता। अतः कांयु प्रान्त बिना शपथ पत्र के अपुरा है। अतः प्रान्त कांयु रवारेज किया जाकर अपिलेट की अपील रवारेज की जाती है। पठावली नम्बर से कम है।</p> <p>निर्णय सुलोमा राम</p> <p style="text-align: right;">23/11/18</p>